



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्तों को 06 – 06 माह का कारावास व ₹5000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली सदर में पंजीकृत मु0अ0सं0-768/2012, धारा- 447,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.लीलाधर पुत्र भरोसा 2.लीलावती पत्नी लीलाधर नि0गण रमेड़ी तरौस कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को 06 – 06 माह का कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्री अमर
जयसवाल



विवेचक
उ0नि0 श्री
गणेशशंकर द्विवेदी



पैरोकार कोतवाली सदर
का0 श्री सोमनाथ